1. संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (UN CBD)

1.1. परिचय

- जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity) या CBD रियो डी जनेरियो में **1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन** में अपनाए गए प्रमुख समझौतों में से एक है।
- यह **29 दिसंबर 1993** को लागू हुआ।

1.2.CBD क्या है?

- जैविक विविधता अभिसमय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे **व्यापक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है।
- यह **सभी स्तरों पर जैव विविधता को शामिल करता है**: पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक संसाधन।

- CBD मानता है कि जैविक विविधता, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से अधिक है।
- यह लोगों और खाद्य सुरक्षा, दवाओं, ताजी हवा और पानी, आश्रय और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता के बारे में है जिसमें लोग रहते हैं।

1.3. CBD के उद्देश्य क्या हैं?

इसे एजेंडा 21 के सिद्धांतों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में माना गया था।

इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:

1. जैविक विविधता का **संरक्षण**।
2. जैविक विविधता के घटकों का **सतत उपयोग**।
3. आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले **लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।**

इसका समग्र उद्देश्य उन कार्यों को प्रोत्साहित करना है, जो एक सतत भविष्य की ओर ले जाएगा।

1.4. CBD की उत्पत्ति

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (UNEP) ने जैविक विविधता पर एक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की आवश्यकता का पता लगाने के लिए **नवंबर 1988** में जैविक विविधता पर **विशेषज्ञों के तदर्थ कार्यकारी समूह का गठन** किया।
- फरवरी 1991 तक, तदर्थ कार्य समूह को **अंतर सरकारी वार्ता समिति** के रूप में जाना जाने लगा।
- पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो "पृथ्वी शिखर सम्मेलन") में **5 जून 1992 को हस्ताक्षर के लिए अभिसमय को खोला गया** था।
- यह 4 जून 1993 तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहा, उस समय तक इसे 168 हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके थे।
- CBD 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ, जो 30वें अनुसमर्थन के 90 दिन बाद था।

1.5. सदस्यता

- अभिसमय में **196 पार्टियां** हैं, जिसमें 195 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- **भारत 18 फरवरी, 1994** को अभिसमय का पार्टी बना।

1.6. शासी निकाय

- अभिसमय का शासी निकाय **पार्टियों का सम्मेलन** (Conference of the Parties (COP)) है, जिसमें सभी सरकारें (और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन) शामिल हैं जिन्होंने संधि की पुष्टि की है।
- COP अभिसमय में संशोधन कर सकता है।
- यह निकाय अभिसमय के तहत प्रगति की समीक्षा करता है, नई प्राथमिकताओं की पहचान करता है, और सदस्यों के लिए कार्य योजना निर्धारित करता है।

1.7. CBD का सचिवालय

- जैव विविधता अभिसमय का सचिवालय (SCBD) **मॉन्ट्रियल, कनाडा** में स्थित है।
- इसका मुख्य कार्य CBD और इसके कार्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकारों की सहायता करना, बैठकें आयोजित करना, दस्तावेज़ों का मसौदा तैयार करना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करना और जानकारी एकत्र करना और फैलाना है।

1.8. CBD के प्रोटोकॉल

- CBD उद्देश्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, CBD के संरचना के भीतर दो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी समझौते अपनाए गए।
- ये दो प्रोटोकॉल **कार्टजिना (Cartagena) प्रोटोकॉल** और **नागोया (Nagoya) प्रोटोकॉल** हैं।

1.9. CBD के तहत आने वाले मुद्दे

- जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रोत्साहनों को मापता है।
- यह आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक की पहुंच को नियंत्रित करता है।
- अनुसंधान और विकास के परिणाम तथा लाभ साझा करना, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से
- जैव प्रौद्योगिकी सहित अन्य आवश्यक प्रौद्योगिकी का उपयोग और हस्तांतरण।
- प्रभाव आकलन।
- शिक्षा और जन जागरूकता।
- वित्तीय संसाधनों का प्रावधान।
- संधि प्रतिबद्धताओं को लागू करने के प्रयासों पर राष्ट्रीय प्रतिवेदन।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

1.10. राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ

- राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ (NBSAP) **राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमय को लागू** करने के लिए प्रमुख उपकरण हैं।
- **अभिसमय के लिए आवश्यक है कि देश एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति तैयार करें** और यह सुनिश्चित करें कि यह रणनीति उन सभी क्षेत्रों में गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल है जहां विविधता प्रभावित हो सकती है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR